

घोषणा पत्र प्रारूप

(उन व्यक्तियों के लिए जो कि नए L.P.G. कनेक्शन या टर्मिनेशन वाउचर से कनेक्शन के लिए इच्छुक हैं)

घोषणा

मैं _____ पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री _____ उम्र _____ वर्ष
निवास स्थान (पूरा पता जहाँ पर L.P.G. कनेक्शन चाहिए) _____

_____ अपने नाम पर L.P.G. कनेक्शन लेने का/की इच्छुक हूँ और निम्नलिखित की पुष्टि करता/करती हूँ की :-

1. मैं भारतीय नागरिक/अनिवासी भारतीय/ भारत में सेवारत विदेशी व्यक्ति का/की कर्मचारी/ मान्य वीजा के तहत भारत में रह रहे विदेशी व्यक्ति/ स्थानांतरण के तहत भारत लौट रहा/रही/ पी.आई.ओ. हूँ।

***जो लागू हो उस पर सही निशान लगाएं। केवल भारतीय नागरिक ही L.P.G. सब्सिडी पाने के योग्य हैं।**

2. मेरी जन्मतिथि _____ है (L.P.G. कनेक्शन 18 से कम उम्र के व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा)
3. नाही मेरे अथवा नाही मेरे गृहस्थ परिवार (गृहस्थ मतलब परिवार जिसमे पति, पत्नी, अविवाहित बच्चे और आश्रित माता-पिता एक साथ एक ही घर में रहते हों जिसमे एक ही रसोईघर हो), के नाम घरेलू उपयोग हेतु किसी भी P.S.U. तेल कंपनी से कोई L.P.G. कनेक्शन या पाइपड नेचुरल गैस (P.N.G.) कनेक्शन है। (जिस गृहस्थी के पास पाइपड नेचुरल गैस (P.N.G.) का कनेक्शन है, वह L.P.G. सब्सिडी पाने के योग्य नहीं हैं)
4. मैं राशन कार्ड संख्या की कॉपी संलग्न कर रहा/रही हूँ _____ जिसमे मेरा नाम है।

अथवा

मेरे या मेरे गृहस्थ परिवार (जैसा की गृहस्थी को ऊपर परिभाषित किया गया है) के नाम राशन कार्ड नहीं है। जब भी मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य के नाम राशन कार्ड जारी होगा, वह राशन कार्ड L.P.G. वितरक को रिकॉर्ड अपडेट करने हेतु दे दिया जाएगा।

***जो लागू न हो उसे काट दें**

5. मैं KYC फॉर्म को भर कर अपने पता प्रमाण और पहचान प्रमाण के साथ संलग्न कर रहा/रही हूँ :-
 - a. _____ पता प्रमाण के लिए
 - b. _____ पहचान प्रमाण के लिए
6. मैं यह सुनिश्चित करता/करती हूँ की L.P.G. कनेक्शन जो मुझे जारी किया जाएगा वह मेरे उपर्युक्त पते पर केवल घरेलू उपयोग हेतु इस्तेमाल किया जाएगा और मैं इसके उपयोग संबंधित प्रत्येक नियम का पालन करूंगा / करूंगी।
7. मैं उस ही रसोईघर में अन्य कोई L.P.G. गैस को स्थापित नहीं करूंगा/करूंगी।
8. जब भी इस कनेक्शन के तहत मुझे दूसरा गैस सिलेंडर जारी किया जाएगा, वह उस ही रसोईघर में मूल इंस्टालेशन के साथ ही इस्तेमाल किया जाएगा।
9. जब भी मैं किसी अन्य पते पर स्थानांतरण करूंगा / करूंगी, इसकी सूचना _____ (वितरक का नाम/ RGGLV) को लिखित रूप में रिकॉर्ड अपडेट करने हेतु दी जाएगी।
10. मुझे ज्ञात है कि घरेलू सब्सिडाइज्ड L.P.G. कनेक्शन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL)/ भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (BPCL)/ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (HPCL), मेरे द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एवं नो यौर कस्टमर (KYC) में लिखित जानकारी के आधार पर जारी करेगा। बाद में पता प्रमाण एवं पहचान प्रमाण की पुष्टि की जाएगी कि उक्त पते पर किसी भी तेल कंपनी से मेरे या मेरे परिवार (जैसा कि अनुच्छेद 3 में उल्लिखित है) के किसी भी सदस्य के नाम कोई अन्य सब्सिडाइज्ड L.P.G. कनेक्शन न हो।
11. यदि मेरे द्वारा KYC फॉर्म या किसी भी दस्तावेज़ में प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी / घोषणा अथवा पहचान प्रमाण / पता प्रमाण, असत्य या गलत निकलती है तो तेल कंपनी को मेरी गैस की सप्लाय रोकने / मेरा कनेक्शन रद्द करने / उपकरण जब्त करने / सुरक्षा जमा राशि जब्त करने का अधिकार है और इस कारण मैं IOCL / BPCL / HPCL के खिलाफ कोई दावा नहीं करूंगा / करूंगी।

मैं यह घोषणा करता / करती हूँ कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सत्य है और मेरे संज्ञान में है, अथवा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।

दिनांक : _____

स्थान : _____

घोषणा कर्ता के हस्ताक्षर

नाम _____